बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

–:: संकल्प ::–

पटना–15 दिनांक......(24)-2-5-17

श्री शेखर चन्द्र वर्मा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–233/11 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ के विरूद्ध पंचायत निर्वाचन 2006 में गलत मतगणना आँकड़ो के आधार पर परिणाम घोषित करने संबंधी आरोप जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक–4923, दिनांक 11.12.2006 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त आरोपों पर श्री वर्मा से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। इसके पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत संकल्प ज्ञापांक–9091 दिनांक 25.06.2012 द्वारा श्री वर्मा को **'निन्दन'** संसूचित किया गया। उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री वर्मा ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर किया। एतद्संबंधी सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०–13760/2012 में दिनांक 20.09.2013 को पारित आदेश द्वारा पूर्व निर्गत दंडादेश (संकल्प ज्ञापांक–9091 दिनांक 25.06.2012) को निरस्त करते हुए वादी के स्पष्टीकरण पर नये सिरे से विचार कर चार माह के अन्दर निर्णय लेने का निदेश दिया गया। इसके अनुपालन में कार्रवाई करते हुए विचारोपरान्त संकल्प ज्ञापांक 18173 दिनांक 28.11.2013 द्वारा श्री वर्मा को निम्न रूपेण दंड संसूचित किया गया :–

(क) अगले तीन वर्षो तक के लिए प्रोन्नति पर रोक।

(ख) तीन वर्षो से अनाधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रकरण पर अवनति।

श्री वर्मा ने उक्त दंडादेश पर पुर्नविचार हेतु एक अभ्यावेदन (पत्रांक 3089 दिनांक 08.09.2014) समर्पित किया जिसे समीक्षोपरांत अस्वीकृत कर दिया गया।

2. श्री वर्मा ने संकल्प ज्ञापांक–18173 दिनांक–28.11.13 द्वारा संसूचित दंड के विरूद्ध पुनः माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। एतद्संबंधी सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–5041/2014 में दिनांक 04.12.2015 को पारित आदेश द्वारा उक्त दंडादेश (संकल्प ज्ञापांक 18173 दिनांक 28.11.2013) को निरस्त कर दिया गया। न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6935 दिनांक 16.05.2016 द्वारा दंडादेश (संकल्प ज्ञापांक 18173 दिनांक 28.11.2013) निरस्त करते हुए श्री वर्मा को 'निन्दन' (वर्ष 2006–07 के प्रभाव से) संसूचित किया गया।

3. श्री वर्मा ने पुनः उक्त 'निदंन' (संकल्प ज्ञापांक 6935 दिनांक 16.05.2016) के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में पुनः एक रीट याचिका दायर किया। एतद्संबंधी सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–565/2017 में दिनांक 20.03.2017 को निम्न रूपेन आदेश पारित हुआ:–

"14. For the reasons so discussed, the punishment order impugned at Annexure 1 is an order which is neither sustainable in view of the void charge sheet and as a consequence, the entire disciplinary proceedings including the order of penalty impugned at Annexure 1, is quashed and set aside.

15. The writ petition is allowed with all consequential benefits."

अतएव वर्णित तथ्यों एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश (20.03.2017) के आलोक में श्री शेखर चन्द्र वर्मा, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 233/11 (सम्प्रति सेवानिवृत) को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6935 दिनांक 16.05.2016 द्वारा संसूचित दंड (निन्दन आरोप वर्ष 2006–07 के प्रभाव से) को वापस लिया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

2/6/2017

(केशव कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–08/आरोप–**01–245/2014,सा०प्र०** 6715 **पटना, दिनांक** 2-6-17

निबंधित
स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ/श्री शेखर चन्द्र वर्मा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–233/11 (सम्प्रति सेवानिवृत), फ्लैट न0–405, फ्रन्डस गार्डेन अपार्टमेंट, राजवंशीनगर, रोड न0–02, विस्तार, पोस्ट–शास्त्रीनगर, पटना–800023/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12,14,चारित्री कोषांग, एवं आई०टी० मैनेजर (अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/6/2017

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–08/आरोप–**01–245/2014,सा०प्र०** 6715 **/पटना, दिनांक** 2-6-17

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2/6/2017

सरकार के अपर सचिव।